न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी डॉ0 अनुपमा टेलर, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 27/2021 दायरा दिनांक : 23.02.2021

उनवान

1– धनराज पुत्र रामकरण, जाति कहार, निवासी खान की झौपडिया, तहसील अन्ता, जिला बारां

2– गिरिराज पुत्र रामकरण, जाति कहार, निवासी खान की झौपडिया, तहसील अन्ता, जिला बारां

3– बंशीलाल पुत्र रामकरण, जाति कहार, निवासी खान की झौपडिया, तहसील अन्ता, जिला बारां

.... अपीलांट

बनाम

1– दिव्या पुत्री धनराज, आयु 14 वर्ष जरिये वली माता श्रीमती कजोडबाई, जाति कहार, निवासी खान की झौपडिया, तहसील अन्ता, जिला बारां

2– प्रियंका पुत्री धनराज, आयु 17 वर्ष जरिये वली माता श्रीमती कजोड़बाई, जाति कहार, निवासी खान की झौपडिया, तहसील अन्ता, जिला बारां

3– राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार अन्ता, जिला बारां

.... रेस्पोडेंट

उपस्थित – श्री किशन अग्रवाल अभिभाषक अपीलांट की ओर से

निर्णय दिनांक : 27.09.2022

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

टंकणकर्ता
रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो–(पी. ए.)
भू प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

यह अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम उपखण्ड अधिकारी, अन्ता के प्रकरण संख्या – 03/2020 निर्णय दिनांक 15.01.2021 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थीगण रेस्पोडेंट ने अधीनस्थ न्यायालय में एक दावा अन्तर्गत धारा 88, 89, व 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश कर एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम पेश किया और यह कथन किया कि ग्राम खान की झौपडिया, तहसील अन्ता में खाता संख्या 86 में खसरा नम्बर 232/1956 रकबा 0.86 हेक्टर तथा खाता संख्या 85 में खसरा नम्बर 389/232 रकबा 0.57 हेक्टर भूमि स्थित है। उक्त वादग्रस्त भूमि अप्रार्थी नम्बर 1 धनराज के संयुक्त खातेदारी में दर्ज है। जिसमें अप्रार्थी नम्बर 1 का 1/3 हिस्सा राजस्व रेकार्ड जमाबंदी में दर्ज है, जिसका अप्रार्थी कम 1 संयुक्त खातेदार काश्तकार है। उक्त भूमि पुश्तैनी है जो अप्रार्थी कम 1 को विरासत में प्राप्त हुई है। प्रार्थिया कम 1 व 2 प्रतिवादी कम 1 की पुत्रियां हैं जिनका अप्रार्थी कम 1 के हिस्से की 1/3 भूमि में जन्मतः हक, अधिकार नियत है, जिसमें प्रार्थिया कम 1 का 1/9 हिस्सा, प्रार्थिया कम 2 का हिस्सा 1/9, अप्रार्थी कम 1 का हिस्सा 1/9 बनता है। प्रार्थियागण अपने हिस्से की भूमि पर काबिज काश्त करती चली आ रही है। प्रार्थियागण अप्रार्थी कम 1 से अलग अपनी माता कजोड़बाई के साथ निवास करती है। प्रार्थियागण को अपने भरण–पोषण करने के लिए परेशानी हो रही है और अप्रार्थी कम 1 उक्त भूमि में से प्रार्थियागण को उनके हिस्से की भूमि खाते दर्ज करवाने से इंकारी है। इसलिए प्रार्थियागण को अप्रार्थी कम 1 के हिस्से 1/3 भूमि में से प्रत्येक को 1/9–1/9 भूमि की सहखातेदार काश्तकार घोषित किया जावे । वादग्रस्त भूमि अप्रार्थी कम 1 के नाम संयुक्त खातेदारी में दर्ज होने से अप्रार्थी कम 1 उक्त विवादित आराजियात को अन्यत्र रहन, बेचान या खुर्द–बुर्द करने का

टंकणकर्ता
रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो–(पी. ए.)
भू प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

प्रयत्न कर रहा है, जबकि प्रार्थियागण एवं अप्रार्थी कम 1 उक्त विवादित आराजियात पर काश्त करते चले आ रहे हैं । प्रार्थियागण व अप्रार्थी कम 1 के हिस्से 1/9–1/9–1/9 भूमि में हक अधिकार जन्मतः होने से अप्रार्थी कम 1 के हिस्से 1/3 में से 1/9–1/9 भूमि पर प्रार्थियागण काबिज काश्त होने से प्रार्थियागण को 1/9–1/9 हस्से की भूमि के प्रार्थियागण को बतौर सहखातेदार काश्तकार घोषित किया जावे । प्रार्थियागण खिलाफ अप्रार्थीगण इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी फरमायी जावे कि अप्रार्थीगण प्रार्थियागण के हिस्से की भूमि से बेदखल नहीं करें, रहन, बेचान नहीं करें, खुर्द–बुर्द नहीं करें, प्रार्थियागण को शांतिपूर्वक काश्त करने देवें, प्रार्थियागण की काश्त व्यवस्था में अप्रार्थीगण किसी प्रकार की कोई बाधा उत्पन्न नहीं करें। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थी रेस्पोडेंट का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थीगण को ताफैसला अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि ग्राम खान की झौपडिया, तहसील अन्ता में खाता संख्या 86 में खसरा नम्बर 232/1956 रकबा 0.86 हेक्टर तथा खाता संख्या 85 में खसरा नम्बर 389/232 रकबा 0.57 हेक्टर भूमि में अप्रार्थी कम 1 के हिस्से की भूमि में से प्रार्थीयागण के हिस्से की भूमि को रहन, बेचान नहीं करें, रेकार्ड व मौके की यथास्थिति बनाये रखें, जिससे अप्रसन्न होकर अपीलांट ने यह अपील पेश की । अपील में अपीलांट ने कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का आदेश वस्तुस्थिति तथा कानून के विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय ने दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य व कानूनी नजीरों का सही से विवेचन न कर मात्र कयास के आधार पर निर्णय पारित किया है। रेस्पोडेंट नम्बर 1 व 2 द्वारा अपीलांट के खाते व कब्जे काश्त की आराजी के सम्बन्ध में एक वाद अन्तर्गत धारा 88, 89, 188 राज0टी0ए0 पेश किया और वाद में वादग्रस्त आराजी में अपीलांट कम 1 के हिस्से की आराजी पर बिना किसी आधार के अपना कब्जा बता दिया और अधीनस्थ न्यायालय में अपने हिस्से की

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

टंकणकर्ता
रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो–(पी. ए.)
भू प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

घोषणा चाही, जबकि वास्तविकता यह है कि अपीलांट का ही वादग्रस्त आराजियात पर कब्जा है और वे ही काबिज काश्त है। वादग्रस्त आराजियात में रेस्पोडेंट कम 1 व 2 का न तो हिस्सा है और ना ही वे उसमें मालिकाना हिस्सा घोषित कराने के अधिकारी हैं, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त समस्त तथ्यों को नजर अन्दाज कर प्रार्थना पत्र धारा 212 राज0टी0ए0 स्वीकार करने, अपीलांट को पाबन्द करने में त्रुटि की है। रेस्पोडेंट कम 1 व 2 अधीनस्थ न्यायालय में वाद के माध्यम से अपना हिस्सा घोषित कराने की सहायता चाहते हैं, इसलिए घोषणा का वाद प्रस्तुत किया है, जबकि कानूनी स्थिति यह है कि जब तक रेस्पोडेंट कम 1 व 2 का हिस्सा घोषित नहीं हो जाता उनका घोषणा का वाद डिक्री नहीं हो जाता तब तक वे किसी प्रकार की अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारिणी नहीं हैं। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त समस्त तथ्यों को नजर अन्दाज कर प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज0टी0ए0 स्वीकर करने, अपीलांट को पाबन्द करने में त्रुटि की है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि यदि वादग्रस्त सम्पत्ति पर किसी व्यक्ति का कब्जा नहीं है तो वह निषेधाज्ञा प्राप्त करने का ही अधिकारी नहीं है। चूंकि वादग्रस्त आराजी पर रेस्पोडेंट कम 1 व 2 का कब्जा काश्त नहीं है, इसलिए वे कब्जे के अभाव में किसी प्रकार की निषेधाज्ञा प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 15.01.2021 अपास्त किया जावे, रेस्पोडेंट कम 1 व 2 का प्रार्थना पत्र निरस्त फरमाया जावे।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । रेस्पोडेंट की ओर से किसी के उपस्थित नहीं आने पर एक तरफा बहस योग्य अभिभाषक अपीलांट सुनी गई ।

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

टंकणकर्ता
रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो–(पी. ए.)
भू प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराया एवं अपने पक्ष के समर्थन में आर.आर.डी. 1992 पेज 532, आर.आर.डी. 1981 पेज 714, डब्ल्यू.एल.सी.(राज.)यू.सी. 2000 पेज 5, 2013(2) डी.एन.जे.(राज.) पेज 758, 1492 एस.सी., 2016(1) डी.एन.जे. (राज.) पेज 16, आर.आर.टी. 2018(1) पेज 692 एवं आर.आर.डी. 1992 पेज 640 पेश की, जो शामिल पत्रावली की गई।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अप्रार्थीगण ने अपने जवाब में प्रार्थी को अप्रार्थी कम 1 के विधिक वारिसान के रूप में स्वीकार किया है। भरण पोषण मिलने से भूमि पर से विधिक अधिकार समाप्त नहीं होते हैं। अस्थायी निषेधाज्ञा के सम्बन्ध में प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूर्णीयक्षति तीनों बिन्दु प्रार्थीगण रेस्पोडेंट के पक्ष में है। अधीनस्थ न्यायालय ने अप्रार्थीगण अपीलांट को ताफैसला अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया है, जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं। अतः अपील अपीलांट सारहीन प्रतीत होती है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.01.2021 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 27.09.2022 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

27/9/2022

(डॉ0 अनुपमा टेलर)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

टंकणकर्ता
रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो–(पी. ए.)
भू. प्रबन्ध अधिकारी, कोटा